



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09072024-255286
CG-DL-E-09072024-255286

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2525]

नई दिल्ली, , मंगलवार, जुलाई 9, 2024/आषाढ 18, 1946

No. 2525]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 9, 2024/ASHADHA 18, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2024

का.आ. 2660(अ).— जबकि सिक्स फॉर जस्टिस (जिसे इसमें इसके पश्चात एसएफजे कहा गया है), ऐसे क्रियाकलापों में लिप्त रहा है, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा और लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हैं, और देश की शांति, एकता और अखंडता को बाधित करने की क्षमता रखते हैं;

और, जबकि, केंद्र सरकार की यह राय है कि एसएफजे उन क्रियाकलापों में लिप्त है जो देश की अखंडता और सुरक्षा के प्रतिकूल हैं;

और, जबकि, केंद्र सरकार की राय है कि एसएफजे निम्नलिखित ऐसे विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में शामिल है, जो विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा (2) की उप-धारा (1) के खंड (ण) और (त) के अंतर्गत आते हैं, अर्थात् :-

- (i) एसएफजे पंजाब और अन्य जगहों पर राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल है, जिसका उद्देश्य भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करना है;
- (ii) एसएफजे उग्रवादी संगठनों और कार्यकर्ताओं के निकट संपर्क में है, और भारत संघ के राज्य क्षेत्र से एक संप्रभु खालिस्तान बनाने के लिए पंजाब और अन्य जगहों पर चरमपंथ और उग्रवाद से हिंसक समर्थन कर रहा है; और

- (iii) एसएफजे भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से को भारत संघ से अलग करने के क्रियाकलापों को प्रोत्साहित और सहायता कर रहा है तथा भारत और अन्य जगहों पर इस प्रयोजन के लिए लड़ रहे अलगाववादी समूहों को ऐसी गतिविधियों और बयानों में शामिल होकर समर्थन दे रहा है जिनका उद्देश्य भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करना है।

और, जबकि, केंद्र सरकार की यह और राय है कि यदि एसएफजे के विधिविरुद्ध क्रियाकलापों पर तुरंत अंकुश नहीं लगाया गया और उन्हें नियंत्रित नहीं किया गया, तो इसकी संभावना है कि -

(क) विधि द्वारा स्थापित सरकार को अस्थिर करके भारत संघ के क्षेत्र से खालिस्तान को अलग करने के प्रयासों सहित अपनी विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा देगा;

(ख) पंजाब को भारत संघ से अलग करने और खालिस्तान के गठन की वकालत जारी रखेगा;

(ग) राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी भावनाओं का प्रचार करेगा जो देश की क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं; और

(घ) अलगाववादी आंदोलनों को बढ़ाएगा, उग्रवाद का समर्थन करेगा और देश में हिंसा भड़काएगा;

और जबकि, केंद्र सरकार की यह भी राय है कि एसएफजे की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि एसएफजे को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाए।

अतः, अब, केंद्र सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिक्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने की अवधि को विस्तारित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए गए किसी भी आदेश के अध्याधीन 10 जुलाई, 2024 से अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।

[फा. सं. 17014/21/2024 – आं.सु.-VII]

अनिल सुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2024

S.O. 2660(E).—Whereas, the Sikhs For Justice (hereinafter referred to as the SFJ), has been indulging in activities, which are prejudicial to the internal security of India and public order, and have the potential of disrupting peace, the unity and integrity of the country;

And, Whereas, the Central Government is of the opinion that the SFJ is indulging in the activities which are prejudicial to the integrity and security of the country;

And, Whereas, the Central Government is of the opinion that following unlawful activities indulged by the SFJ falls within the meaning of clauses (o) and (p) of sub-section (1) of section 2 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, namely: -

- (i) SFJ is involved in anti-national and subversive activities in Punjab and elsewhere, intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India;
- (ii) SFJ is in close touch with the militant outfits and activists, and is supporting violent form of extremism and militancy in Punjab and elsewhere to carve out a sovereign Khalistan out of territory of Union of India; and
- (iii) SFJ is encouraging and aiding the activities for secession of a part of the Indian territory from the Union of India and supporting separatist groups fighting for this purpose in India and elsewhere by indulging in activities and articulations intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India;

And, Whereas, the Central Government is further of the opinion that if the unlawful activities of the SFJ are not curbed and controlled immediately, it is likely to -

- (a) escalate its subversive activities including attempts to carve out Khalistan Nation out of the territory of Union of India by destabilising the Government established by law;
- (b) continue advocating the secession of Punjab from the Union of India and formation of Khalistan;
- (c) propagate anti-national and separatist sentiments prejudicial to the territorial integrity and security of the country; and
- (d) escalate secessionist movements, support militancy and incite violence in the country;

And, Whereas, the Central Government is also of the opinion that having regard to the activities of the SFJ, it is necessary to declare the SFJ to be an unlawful association.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby extends the declaration of the Sikhs For Justice (SFJ) as an unlawful association and directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect for a further period of five years from 10th day of July, 2024.

[F. No. 17014/21/2024 – IS-VII]

ANIL SUBRAMANIAM, Jt. Secy.